न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 15/2018 जिला अलवर ।

रामस्वरूप सिंह पुत्र रिछपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी हासपुरखुर्द, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. कबूल बाई पुत्री रिछपाल सिंह,
2. गिन्दोबाई पुत्री रिछपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्रम हासपुरखुर्द, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

3. ग्रम पंचायत पतलिया, तहसील कोटकासिम जरिये सरपंच ।

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधीकारी कोटकासिम , जिला अलवर

दिनांक 11.5.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह राठौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री रामकिशोर

निर्णय

दिनांक–18.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 11.5.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

यह कि ग्रम हासपुरखुर्द, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा किता 2 रकबा 16 बिस्वा, खसरा किता 6 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा किता 39 रकबा 40 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार रिछपाल सिंह था, जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतकरण संख्या 144 की पुश्त पर दिनांक 21.7.1998 को ग्रम पंचायत पतलिया द्वारा आदेश अंकित किया कि " आज दिनांक 21.7.98 को यह इन्तकाल पंचायत में पेश हुआ । जरिये गोदनामा देशराज पुत्र रिछपाल ने अपने हक का रामस्वरूप सिंह पुत्र रिछपाल सिंह के हक में अपना हक जरिये हल्फनामा छोड दिया है । चूंकि रिछपाल सिंह के दो पुत्र रामस्वरूप व देशराज सिंह हुये है । इसके अलावा इसके और कोई वारिसान नहीं है । अतः इन्तकाल वारिसान बहक रामस्वरूप सिह के नाम सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।"

उक्त नामांतरकरण संख्या 144 दिनांक 21.7.98 से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट कबूल बाई व गिन्दो बाई पुत्रियॉ रिछपाल सिंह द्वारा अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के समक्ष मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 27.10.2017 को प्रस्तुत की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.5.2018 द्वारा आज्ञा ग्रम पंचायत पतालिया दिनांक 21.7.98 इन्तकाल संख्या 144 निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई के लिये तहसीलदार , कोटकासिम को रिमाण्ड की गई ।

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.5.2018 से व्यथित होकर रामस्वरूप सिंह पुत्र रिछपाल सिंह द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम दिनांक 11.5.2018 निरस्त किये जाने तथा इन्तकाल संख्या 144 दिनांक 21.7.98 बदस्तूर बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार रिछपाल सिंह की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा अपीलान्ट रामस्वरूप के नाम पंचायत कौरम में सर्वसम्मति से दिनांक 21.7.1998 को तस्दीक किया था । प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी रेस्पोंडेन्ट्स को भी थी , लेकिन 19 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में मियाद के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया जबकि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने तरतीबी रेस्पोडेन्ट की तामिल भी नहीं करवाई और बिना तलबी हुये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । ग्रम पंचायत के समक्ष रेस्पोंडेन्ट असल पक्षकार नहीं थे इसलिये उन्हें बिना इजाजत के अपील पेश करने का भी अधिकार नहीं था । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर रिमाण्ड किया है , लेकिन निर्णय में इस संबंध में कोई कारण भी अंकित नहीं किये हैं । इन्काल संख्या 144 से असल रेस्पांडेन्ट का कोई संबंध व सरोकार भी नहीं है , केवल अपीलान्ट को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत अपीलाधीन आदेश पारित कराया है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनाक 11.5.2018 को अपीलान्ट उपस्थित नहीं थे और ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित थे । लोक अदालत कैम्प कोर्ट में निर्णय दोनों पक्षों की सहमति के अनुसार पारित किया जाता है, लेकिन दोनों पक्षों के उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट का केवल मात्र उपस्थित होने के संबंध में अंगूठा निशान लगवाया

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

गया है । अपीलाधीन निर्णय कानून की अनदेखी करते हुये व लोक अदालत के नियमों का उल्लंघन करते हुये पारित किया है , जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत बहाल रखा जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार रिछपाल सिंह थे और रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 कबूल बाई व गिन्दो बाई मृतक खातेदार रिछपाल सिंह की जायन्दा पुत्रियॉ है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है । ग्रम पंचायत द्वारा मृतक रिछपाल सिंह की विरासत का नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व उसके विधिक वारिसान की जॉच नहीं की गई न ही उन्हें कोई नोटिस जारी किया गया । मृतक खातेदार रिछपाल सिंह के विधिक वारिसान रामस्वरूप सिंह, देशराज सिंह, कबूल बाई व गन्दोबाई है जिनके नाम बहिस्सा बराबर बराबर का नामांतरकरण होना चाहिये । ग्रम पंचायत द्वारा मृतक रिछपाल सिंह के केवल दो ही वारिसान रामस्वरूप सिंह व देशराज सिंह को ही मानना गलत है । ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामांतरकरण बिना वारिसान की जॉच किये व विधिक वारिसान को बिना नोटिस दिये केवल अपीलान्ट के नाम ही स्वीकार करना विधिसम्यक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट की अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.5.2018 से आज्ञा ग्रम पंचायत पतालिया दिनांक 21.7.98 इन्तकाल संख्या 144 निरस्त करते हुये पत्रावली पुनः सुनवाई के लिये तहसीलदार कोटकासिम को रिमाण्ड की गई है, जो उचित विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे । अपने कथनों के समर्थ में न्यायिक दृष्टान्त 2016–17 (सुप्रीम कोर्ट) आर.आर.टी पेज 714, 2009 (2) आर.आर.टी पेज 1280, 1994 आर.बी.जे पेज 134, 1998 आर. बी. जे. पेज 42, 2006 आर. बी. जे. पेज 1, 2007 आर.बी.जे. पेज 263 , धारा 5 मियाद अधिनियम 2007(1) आर.आर.टी पेज 42, 2018 (1) आर.आर.टी पेज 186(हाईकार्ट), 2016 आर. बी. जे. पेज 679, 2018 (1) आर.आर.टी पेज 262, आर.बी.जे. पेज 2006 796, 2018 (1) आर.आर.टी पेज 1544, 2013 (1) आर.आर.टी पेज 436, धारा 96 सी.पी.सी 2019 (2) आर.आर.टी पेज 1206, 2016 आर.बी.जे पेज 547 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्यतः विवाद विवादित भूमि के मृतक खातेदार रिछपाल सिंह की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में है । ग्रम पंचायत ने मृतक खातेदार रिछपाल सिंह की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 144 अपीलान्ट रामस्वरूप सिंह पुत्र रिछपाल सिंह के नाम दिनांक 21.7.98 को तस्दीक किया था । दूसरी ओर मृतक खातेदार रिछपाल सिंह की पुत्रियॉ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 कबूल बाई व गिन्दो

बाई अपने पिता की सम्पत्ति में हक चाहती है । ग्राम पंचायत द्वारा मृतक रिछपाल सिंह के विधिक वारिसान की जॅाच किये बिना व उन्हें सुनवाई का नोटिस दिये बिना ही प्रश्नगत नामांतरकरण केवल अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार रिछपाल सिंह की पुत्रियॅा होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक उत्तराधिकारी है , जिन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं न्यायोचित है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम ने भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.5.2018 से प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 144 दिनांक 21.7.98 निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार कोटकासिम को रिमाण्ड किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होती । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम , जिला अलवर दिनांक 11.5.2018 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर